कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag

E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 976 /10एल.ए. दिनांक 16 /05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषयः– जनपद चमोली में बांजवगड तेलान मोटर मार्ग के किमी. 09 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु 2.012 है0 भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/एफ.यू./यू.के./रोड़/18867 /2016 देहरादून दिनांक 24.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016/एफ.सी./785 दिनांक 04–08–2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.024 है0 स्यांरी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–नौली की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। सलग्नः–1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत हये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन.पी.वी. की धनराशि CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न–1
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोकता अभिकरण द्वाना वचनबद्वता प्रस्तुत की जाय।	एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा कर दी जायेगी। संलग्न–1
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	विभाग द्वारा एन.पी.वी. एंव क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न–1
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर व विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा। संलग्नः–1
6	राज्य सरकार Online part-I के Column A- 3(XVII) एवं C(IV) में correeted documents को upload करना सुनिश्चित करें।	–

Computer Sandrbh.226

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तो की अनुपालन आख्या तैयार कर ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

16/5/24

(इं. नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

पत्रांक /10एल.ए. दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।